D:\Ducument 15\Prem Sir Letter-15-16 -new.docx

उपायुक्त का कार्यालय, सरायकेला–खरसावाँ।

(कल्याण शाखा)

प्रेषक,

पत्रांक–............/क0

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सरायकेला–खरसावॉं।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सरायकेला वन प्रमण्डल।

सरायकेला, दिनांक–..................

विषय :– **सी0आर0पी0एफ0 157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु चिन्हित जमीन को वन अधिकार अधिनियम–2006 के तहत् प्रमाण पत्र देने एवं 157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु वनभूमि के डायवर्सन के संबंध में No alternative suitable non-forest land availability प्रमाण पत्र के संबंध में।**

प्रसंग :– **पी0के0 सिंह कमाण्डेन्ट 157 बटालियन केरिपुबल आदित्यपुर का पत्र सं0–एम– पाँच–01/2015–क्यू0–157 बटा, दिनांक–10.05.2016 एवं पत्र सं.–एम–पाँच–1/2016–क्यू0– 157 बटा, दिनांक– 10.05.2016**

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में पी0के0 सिंह कमाण्डेन्ट 157 बटालियन केरिपुबल आदित्यपुर का पत्र सं0–एम–पाँच–01/2015–क्यू0–157 बटा, दिनांक–10.05.2016 द्वारा सी0आर0 पी0एफ0157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु चिन्हित जमीन को वन अधिकार अधिनियम–2006 के तहत् प्रमाण पत्र देने एवं 157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु वनभूमि के डायवर्सन के संबंध में No alternative suitable non-forest land availability प्रमाण पत्र की माँग की गई है जिसकी छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए कहना है कि संबंधित मौजा अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत हैं जहॉं वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामसभा गठित नहीं है।

इस संदर्भ में अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा प्राप्त पत्र की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। चूँकि प्रस्तावित मौजा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है इसलिए वनभूमि का अपयोजन हेतु भवदीय स्वंय सक्षम है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्तावित कार्य हेतु अपने स्तर से प्रस्तावित वनभूमि का अपयोजन की अनुमति देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक– यथौक्त।

विश्वास भाजन,

ह0/

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सरायकेला–खरसावॉं।

ज्ञापांक–576/क0 दिनांक–02/6/2016

प्रतिलिपि– पी0के0 सिंह कमाण्डेन्ट 157 बटालियन केरिपुबल आदित्यपुर का पत्र सं0–एम– पाँच–01/2015–क्यू0–157 बटा, दिनांक–10.05.2016 एवं पत्र सं.–एम–पाँच–1/2016–क्यू0– 157 बटा, दिनांक– 10.05.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सरायकेला–खरसावॉं।

02/6/16

अंचल अधिकारी का कार्यालय गम्हरिया 14

पत्रांक 1132
दिनांक 01/06/16

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
गम्हरिया।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावां

विषय:- 157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु वनभूमि के अपवर्तन के संबंध में No alternative suitable non-forest Land availability प्रमाण पत्र के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 560/क दिनांक 30.5.16.

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि 157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु वनभूमि के अपवर्तन के संबंध में सम्बन्धित हल्का कर्मचारी से जाँच करवाया गया। हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदनानुसार 4.97 हेक्टर या 12.28 एकड़ एकमुश्त सरकारी भूमि निर्धारित स्थान पर उपलब्ध नहीं है। क्योंकि निर्धारित भूमि वन विभाग की अधिसूचित क्षेत्र में आता है। अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वास भगत
1/6/16
अंचल अधिकारी
गम्हरिया